न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

प्रकरण संख्याः— 4/16 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

पीठासीन अधिकारीः—श्री भूपेन्द्र कुमार यादव (आर.ए.एस.)

अनवान

प्रार्थीः—

भीखाराम पुत्र मेघाराम जाति कलबी निवासी कोला रेबारियो की ढाणी भादरूणा तहसील सांचोर जिला जालोर

अप्रार्थीगणः—

1. तहसीलदार सांचोर

उपस्थितः—

1. प्रार्थी वकील नरसीराम चौधरी
2. तहसीलदार सांचोर

निर्णय **दिनांक 15.02.2021**

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार पेश किया कि वाके सरहद मौजा भादरूणा हाल राजस्व गांव कोला रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का चौरा तहसील सांचोर में पुराने खेत खसरा नं. 145 आया हुआ हैं जिसका पुराना नक्शा ट्रेस साथ पेश है। उक्त पुराने खसरा नं. 145 का दौरान नवीन सेटलमेंट में नवीन सृजित खसरा नम्बर 269/1888 रकबा 0.20 हैक्टर सृजित किया गया तथा इसका नवीन नक्शा ट्रेस भी सृजित किया गया । उक्त भूमि नवीन खसरा नं. 269/1888 रकबा 0.20 हैक्टर में से मैंने चम्पा वल्द राणा कौम माली का हिस्सा व हरिया वल्द गजा कौम माली से मोल खरीद किया है। उक्त भूमि का मैं सहखातेदार हूँ। नकल वर्तमान जमाबंदी व वर्तमान नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रथम सेटलमेंट अनुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकर्ड अनुसार इन्द्राज करने का अधिकार है। लेकिन द्वितीय सर्वे के दौरान राजस्व ऐजेंसी अमीनो द्वारा जमाबंदी में तो सही इन्द्राज कर दिया लेकिन नवीन नक्शा ट्रेस तजवीज करते वक्त लिपिकीय भूल से नवीन खसरा नं. 269/1888 रकबा 0.20 हैक्टर का आकार लंबा दर्शा दिया हैं जो संलग्न प्रार्थना पत्र नजीर नक्शा प्रदर्श "अ" दर्शा दिया हैं जो गलत है। उक्त इन्द्राज लिपिकीय त्रुटि से किया गया जो काबिल शुद्धिकरण हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मौजा कोला रेबारियो की ढाणी के खसरा नं. 269/1888 रकबा 0.20 हैक्टर के नवीन नक्शा ट्रेस पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धिकरण करने के तहसीलदार को आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस की गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब इस कदर पेश किया कि प्रार्थना [illegible] में गत खसरा नं. व हाल खसरा नं. के आकार में अन्तर है। यदि हाल नक्शा को गत नक्शा के आकार में शुद्धि किया [illegible] हैं तो राजपैरोकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार नक्शा ट्रेस सही किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.03 10:54:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

बहस एकपक्षीय अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी द्वारा हाल खसरा संख्या 269/1888 रकबा 0.20 हैक्टर की नक्शे में दुरूस्ती गत खसरा संख्या 145 के अनुसार एवं द्वितीय सेटलमेंट सर्वे से पूर्व के नक्शा ट्रेस अनुसार चाही गई है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 269/1888 की जमाबंदी 2069 से 2072 में प्रार्थी के अतिरिक्त खंगारा, पूनमा, मरगी, अमियों, उदा, लाला, पीरा एवं भीखाराम भी सहखातेदार है एवं नक्शा ट्रेस हाल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 290 के खातेदार भी प्रकरण में सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि ये प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है।

अतः प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं करने से खारिज किया जाता है।

15/2/21

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.03 10:54:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner